Bill No. 27 of 2015

THE RAJASTHAN SECONDARY EDUCATION (AMENDMENT) BILL, 2015

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Secondary Education Act, 1957.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Secondary Education (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 29th June, 2015.

2. Amendment of section 9, Rajasthan Act No. 42 of 1957.- In section 9 of the Rajasthan Secondary Education Act, 1957 (Act No. 42 of 1957), after the existing clause 2 and before the existing clause (3), the following shall be inserted, namely:-

> "(2A) conduct eligibility test for teachers in accordance with the guidelines issued by National Council for Teacher Education established under section 3 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (Central Act No. 73 of 1993), in pursuance of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act No. 35 of 2009);".

3. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Secondary Education (Amendment) Ordinance, 2015 (Ordinance No. 5 of 2015) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

As per the guidelines issued by National Council for Teacher Education, it is necessary for a candidate to qualify the Teacher Eligibility Test before he can be considered for recruitment as a teacher in primary and upper primary schools. The guidelines provide that the State Government shall authorise any appropriate authority to conduct the Teacher Eligibility Test. Accordingly, it was decided to authorise the Rajasthan Board of Secondary Education to conduct the aforesaid Test. The Rajasthan Board of Secondary Education is a statutory body established under the Rajasthan Secondary Education Act, 1957 and it can carry out only the functions specified in section 9 of the said Act. Conducting examination for Teachers Eligibility Test had not been specified as the function of the Board under the said section. Therefore, it was considered necessary to amend aforesaid section 9 by inserting a new clause (2A) enabling the Board to conduct the Teacher Eligibility Test.

Since, the Rajasthan Legislative Assemby was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Rajasthan Secondary Education (Amendment) Ordinance, 2015 (Ordinance No. 5 of 2015) on 29th June, 2015, which was published in Rajasthan Gazette, Part IV(B), Extraordinary, dated 30th June, 2015.

The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

वासुदेव देवनानी,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE SECONDARY EDUCATION ACT, 1957
(Act No. 42 of 1957)

XX XX XX XX XX XX

9. Powers and functions of the Board.- Subject to the provisions of this Act the Board shall-

(1) xx xx xx xx xx xx xx

(2) conduct public examinations based on such courses of Secondary Education as may be prescribed;

(3) publish the results of the examinations of the Board;

(4) to (14) xx xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

2015 का विधेयक सं.27

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1957 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह 29 जून, 2015 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 42 की धारा 9 का संशोधन.- राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 42) की धारा 9 में विद्यमान खण्ड (2) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (3) के पूर्व निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

> "(2क) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) की धारा 23 के अनुसरण में, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 73) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार, अध्यापकों के लिए पात्रता परीक्षा का संचालन करेगा;"।

3. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश सं. 5) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी उक्त अध्यादेश के द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार, इससे पूर्व कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक के रूप में भर्ती किये जाने के लिए किसी अभ्यर्थी पर विचार किया जा सके, उसका अध्यापक पात्रता परीक्षा में अर्हित होना आवश्यक है। मार्गदर्शक सिद्धान्तों में यह उपबंधित है कि राज्य सरकार अध्यापक पात्रता परीक्षा संचालित करने के लिए किसी समुचित प्राधिकारी को प्राधिकृत करेगी। तदनुसार, उपर्युक्त परीक्षा का संचालन करने के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को प्राधिकृत करने का विनिश्चय किया गया था। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1957 के अधीन स्थापित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक कानूनी निकाय है और यह केवल उक्त अधिनियम की धारा 9 में विनिर्दिष्ट कृत्यों का सम्पादन कर सकता है। अध्यापकों के लिए पात्रता परीक्षा को संचालित करना बोर्ड के कृत्यों के रूप में उक्त धारा में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया था। इसलिए, यह आवश्यक समझा गया था कि अध्यापक पात्रता परीक्षा का संचालन करने के लिए बोर्ड को समर्थ बनाने के लिए एक नये खण्ड (2क) के अन्त:स्थापन द्वारा उपर्युक्त धारा 9 को संशोधित किया जाये।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 29 जून, 2015 को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश सं. 5) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4(ख) में दिनांक 30 जून, 2015 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

वासुदेव देवनानी,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 42) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

9. बोर्ड की शक्तियां तथा कृत्य:- इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन बोर्ड-

(1) XX XX XX XX XX

(2) माध्यमिक शिक्षा के ऐसे पाठ्यक्रमों के आधार पर, जो विहित किये जायें सार्वजनिक परीक्षाओं का संचालन करेगा;

(3) बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम प्रकाशित करेगा;

(4) से (14) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

2015 का विधेयक सं.27

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1957 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,
विशिष्ट सचिव।

(वासुदेव देवनानी, **प्रभारी मंत्री)**

Bill No. 27 of 2015

THE RAJASTHAN SECONDARY EDUCATION (AMENDMENT) BILL, 2015

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Secondary Education Act, 1957.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Prithvi Raj,
Special Secretary.

(Vasudev Devnani, **Minister-Incharge**)